

विषय: सभी के स्वास्थ्य और कल्याण का अधिकार।

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप कुमार ढांड

आदेश

11.11.2024

रिपोर्ट करने योग्य

न्यायालय द्वारा:

- स्वास्थ्य का अधिकार मानवीय गरिमा का एक आवश्यक घटक है, और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए इस अधिकार को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए।
- स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है और इसे "यजुर्वेद" में भी मान्यता दी गई है: यजुर्वेद का पहला 'मंत्र' इस प्रकार है:-

"इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय
कर्मणा आप्याध्वमघ्न्या इन्द्राय भागम प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मा
मा वः स्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपथौ स्यात
बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि।"

यह मंत्र प्रारंभ में उन विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में बताता है जो मनुष्य को दुनिया में खुशी लाने के लिए करने चाहिए। यह कहता है कि प्राणवायु, हवाएँ, ईथरीय तत्व (वायवः) भोजन (इषे) के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, वह भोजन जो ऊर्जा और जीवन शक्ति (ऊर्जे) दे सकता है। सविता देव, अनमोल उपहारों के निर्माता और पुरुषों तथा अन्य प्राणियों के महान प्रेरक, लोगों को सर्वोत्तम कार्यों (श्रेष्ठतमाय कर्मणा) में स्वयं को संलग्न करने में मदद करें। इंद्रियाँ, और सभी जीवित प्राणी (अघ्न्याः) संरक्षित

और ठीक से बनाए रखने योग्य हैं, क्योंकि हमारी अपनी खुशी उन पर निर्भर करती है। हमें स्वयं को क्षयकारी रोग (अनमीवः) से मुक्त रखना चाहिए, हमें स्वयं को चोरों (स्तेनः) अर्थात् लुटेरों और धोखेबाजों से बचाना चाहिए, हमें उन लोगों (अघशंसः) से भी स्वयं को दूर रखना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से पापियों और उनकी पापी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। एक गृहस्थ के बच्चों, नौकरों के साथ-साथ अन्य आश्रितों को भी सभी प्रकार के खतरों (यजमानस्य पशून् पाहि) से संरक्षित किया जाना चाहिए।

यह हमें यजुर्वेद की सामग्री के बारे में एक सामान्य विचार देता है। जीवित प्राणियों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण चिंता भोजन है। जानवर अपने अस्तित्व के लिए भोजन खाते हैं। वे दूसरों के अस्तित्व के बारे में चिंतित नहीं होते हैं।

लेकिन मनुष्य दूसरों के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा अपने पर्यावरण के बारे में सचेत रहना चाहिए। उन्हें पारिस्थितिक संतुलन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये उनके अपने अस्तित्व और खुशी के लिए आवश्यक हैं। पुरुषों को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके भोजन का उत्पादन करने में भी सक्षम होना चाहिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी खुशी इस पर निर्भर करती है। पुरुषों को क्षयकारी रोग से भी स्वयं को बचाना चाहिए। अन्यथा उनका जीवन दयनीय हो सकता है।

3. मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएँ शामिल हैं।

4. स्वास्थ्य मनुष्यों के लिए एक आवश्यक पूर्व-शर्त है और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वास्थ्य का अधिकार एक आवश्यक अधिकार है, जिसके बिना कोई अपने बुनियादी मानवाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता।
5. स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत है। इसमें मानवीय गरिमा का अधिकार शामिल है जो स्वास्थ्य के अधिकार और चिकित्सा सहायता तक फैला हुआ है। इस अनुच्छेद में "जीवन" का अर्थ मानवीय जीवन से है, न कि केवल अस्तित्व या पशु अस्तित्व के जीवन से। इसमें बेहतर जीवन स्तर के अधिकार जैसी चीजें शामिल हैं।
6. भारतीय संविधान में कई प्रावधान हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को संबोधित करते हैं। आम आदमी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, संविधान के निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए। अनुच्छेद 38 राज्य पर एक दायित्व थोपता है कि उसे लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करनी चाहिए, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के बिना, हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (ई) श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा से संबंधित है। इसी तरह, अनुच्छेद 41 राज्य पर उन लोगों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का कर्तव्य थोपता है जो वृद्धावस्था, बीमार और विकलांग हैं। अनुच्छेद 47 राज्य पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का कर्तव्य थोपता है।
7. स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी मनुष्यों के लिए मौलिक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित है और यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार को छोड़कर उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। जीवन के अधिकार का अर्थ केवल पशु अस्तित्व से कुछ अधिक है और इसमें मानवीय गरिमा और शालीनता के साथ लगातार जीवन जीने का अधिकार शामिल है।
8. एक सरकारी अस्पताल या कोई अन्य चिकित्सा संस्थान मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी विशेषज्ञता के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान करने का व्यावसायिक

दायित्व रखता है। स्वास्थ्य का संरक्षण सर्वोपरि विचार होना चाहिए और जीवन बचाने के लिए सभी संभावित प्रयास किए जाने चाहिए। एक बार जीवन खो जाने पर, उसे बहाल नहीं किया जा सकता। इसलिए, बिना किसी भेदभाव और लापरवाही के जीवन को संरक्षित करना अस्पताल प्रशासन का कर्तव्य है।

9. आम जनता के कल्याण के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और नीतियों के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति राज्य और अस्पताल प्रशासन के नियंत्रण से परे दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है।

10. हाल ही में 08.11.2024 और 10.11.2024 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में निम्नलिखित दो शीर्षकों के साथ दो समाचार मंटे प्रकाशित हुई हैं:-

1. "ये कैसी अनदेखी: गंदगी और अनट्रेंड हाथों में डायलिसिस, खुले पानी से साफ कर रहे खून" (08.11.2024) और

2. "हाल-ए-अस्पताल: मुख्य द्वार से ट्रॉली गायब, इमरजेंसी में बेड नहीं, कुछ ही देर में टूटा दम" (10.11.2024)।

उपरोक्त दिल दहला देने वाली समाचार मंटे विभिन्न अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही की वास्तविक तस्वीर दर्शा रही हैं।

इन दो समाचार मंटों की कटिंग परिशिष्ट सी1 और सी2 के रूप में चिह्नित हैं।

11. सरकार का आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व है। अस्पताल प्रशासन और वहाँ तैनात कर्मचारियों को इस तरह के लापरवाही भरे और संवेदनहीन तरीके से मानवीय जीवन के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अस्पताल, कर्मचारियों और सरकार के खराब प्रशासन की लापरवाही के कारण किसी भी इंसान को अपनी जान नहीं गँवानी चाहिए।

12. यह समय की आवश्यकता है कि सरकार अब अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करे और आम जनता के हित में बेहतर और पर्याप्त सुविधाओं के साथ अच्छी संख्या में अस्पताल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करे। वर्तमान स्वास्थ्य सेवाएँ और प्रणाली को नवीनीकृत और सुधारा जाना आवश्यक है।

13. राज्य में मौजूदा वर्तमान स्थितियों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए, आम जनता द्वारा सामना की जा रही मौजूदा समस्या का समाधान खोजने के लिए स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया है। इस याचिका को इस प्रकार पंजीकृत किया जाए:-

स्वप्रेरणा से: सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकार के मामले में।

बनाम

1. भारत संघ सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से।
 2. राजस्थान राज्य मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सचिवालय जयपुर के माध्यम से।
 3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
 4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
14. प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। नियम को चार सप्ताह में वापसी योग्य बनाया गया है।
15. भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव से वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे चल रहे प्रभावी कदमों के बारे में एक रिपोर्ट तलब की जाए।
16. न्यायालय श्री आशीष सक्सेना और श्री आर.डी. रस्तोगी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, भारत संघ, श्री अर्चित बोहरा, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और श्री तनवीर अहमद से इस याचिका में शामिल मुद्दे पर इस न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध करता है। संबंधित अधिवक्ताओं और उनके सहयोगियों के नाम वाद सूची में परिलक्षित हों।
17. इस आदेश की एक प्रति सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, नई दिल्ली; मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर और संबंधित अधिवक्ताओं के कार्यालय में उनकी जानकारी और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजी जाए।

18. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस मामले को 11.12.2024 को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।

(अनूप कुमार ढांड), न्यायमूर्ति

कुड/करण/आयुष

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE

Office At-

O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road

Jaipur- 302018

M:- (+91)9001197999

R/5754/2022

Mitali